# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 विविध I/विविध/शिवपुरी/भू.रा./2017/6324

करतार लोधी पुत्र श्री विक्रम लोधी आयु– 36 वर्ष, व्यवसाय– कृषक, निवासी– ग्राम अछरौनी, तहसील खनियाधाना, जिला– शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

बनाम

1. कलेक्टर शिवपुरी, जिला– शिवपुरी (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी पिछोर, जिला– शिवपुरी (म.प्र.)
3. तहसीलदार तहसील खनियाधाना जिला– शिवपुरी (म.प्र.)
4. भगवानदास साहू पुत्र श्री रघुआ साहू, सरपंच ग्राम पंचायत अछरौनी, तहसील खनियाधाना, जिला– शिवपुरी (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता वास्ते प्रकरण क्र. 01/2015–16/अ–68 में तहसीलदार तहसील खनियाधाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2016 का पालन कराये जाने के संबंध मे।**

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि; अनावेदक क्र. 4 द्वारा ग्राम पंचायत अछरौनी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र. 1947 रकवा 0.350 हेक्टेयर पर नवीन स्टेडियम के निर्माण हेतु मनरेगा योजना से ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे मनमर्जी से बिना सदस्यों की सहमति से अकेले सरपंच द्वारा स्वीकृत कर नोटशीट प्रारंभ की गई और उक्त स्टेडियम हेतु मनरेगा योजना के तहत 14,97,000/– रूपये की राशि अवैध रूप से वास्तविक व सही तथ्यों को छिपाते हुये स्वीकृत ली गयी।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण कमांक विविध/1145 /2017/शिवपुरी/भूरा/6324**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2.1.19 | आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। अनावेदक कमांक 1 से 3 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने।<br>2–प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 15.1.16 द्वारा अनावेदक कमांक–4 को अर्थदण्ड एवं सिविल जेल के आदेश हेतु अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पत्रिका भेजी गई थी लेकिन उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।<br>3– कलेक्टर जिला शिवपुरी को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार के 1/2015–16/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 15.1.16 की कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें। इस न्यायालय से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।<br>सदस्य | |